



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
7, सरदार पटेल मार्ग, पटना-15
CIN-U45201BR19755SG001208



ISO:9001:2015
g.no.: RQ91/10828

Doc. No:- BRPNNL/ HQA/ 62

Dt .08.05.2021 Page No..../.....

II आवश्यक सूचना II

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत परियोजना तथा अन्य पुल परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण में हो रही कठिनाई एवं विलम्ब को देखते हुए भू-अर्जन की कार्यवाई के त्वरित निष्पादन हेतु राजस्व विभाग से बिहार प्रशासनिक सेवा अथवा भा०प्र०से० के सेवानिवृत्त पदाधिकारी/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी, जिन्हें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य का पर्याप्त अनुभव हो को संविदा आधारित 01 (एक) अनारक्षित पद पर दिनांक - 22.05.2025 (अपराह्न 05:00 बजे) तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र निगम के वेबसाईट brpnnl.bihar.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है:-

1. मानदेय:-

संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का मानदेय सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-10000 दिनांक 10.07.2015 में निहित शर्तों के साथ-साथ यथा निर्धारित किया जायेगा।

2. योग्यता:- राजस्व विभाग से बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त/अवकाश प्राप्त पदाधिकारी अथवा भा०प्र०से० के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिन्हें भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्य का अनुभव हो।
3. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि को अभ्यर्थियों का अधिकतम उम्र 63 वर्ष होना चाहिए।
4. संविदा के आधार पर चयन प्रथम चरण में 01 वर्षों तक होगा तथा अधिकतम उम्र-65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए नियोजन अवधि का विस्तार उनके कार्यों के समीक्षानुसार किया जायेगा।
5. चयन प्रक्रिया में चयन हेतु अंको का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3815 दिनांक 11.03.2016 में संलग्न अनुसूची-1 के अनुसार होगा।
6. नियुक्ति के उपरांत दो माह का परिक्षमाण अवधि होगी। समीक्षोपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त इनके कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी संविदा पर नियोजन रद्द कर दी जायेगी।
7. नियोजन हेतु चयन किये जाते समय उनके सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
8. अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि:-
(क) उनके विरुद्ध निगरानी में मामला नहीं चल रहा है।
(ख) उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।
(ग) उनके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है।
(घ) उनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
9. बिहार सरकार के राजस्व विभाग से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा भा०प्र०से० सेवा से सेवानिवृत्त पदाधिकारी ही आवेदन देने हेतु योग्य होंगे।
10. नियोजन हेतु सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
11. राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।
12. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा। इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

13. चयन समिति के अनुशंसा Walk-in-Interview के आधार पर किया जायेगा। चयनित पदाधिकारियों का बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० द्वारा नियोजित करने के उपरांत बिहार राज्य में किसी स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा।
14. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को केवल आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भौति क्षतिपूर्ति अवकाश अनुमान्य होगा।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०

21/05/25
08.05.25

**बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, ०७ सरदार पटेल मार्ग, पटना-१५ के अधीन
संविदा के आधारपर अनुश्रवण पदाधिकारी (भू-अर्जन) के पद पर नियोजन हेतु
आवेदन "प्रपत्र"**

1. आवेदक का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. जन्म तिथि :-
4. सेवानिवृत्त पद का नाम :-
5. सेवानिवृत्त की तिथि :-
6. आरक्षण कोटि का प्रकार :-
7. विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता, जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं :-
8. स्व अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ सेवा इतिहास (सेवा इतिहास अलग पृष्ठ में संलग्न करें) :-
9. सेवानिवृत्त के उपरांत संविदा पर नियोजन का कार्यनुभव का विवरणी :-
10. स्थायी पता :-
11. पत्राचार का पता :-
12. मोबाईल नम्बर :-

पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ
(स्व० अभिप्रमाणित)

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर